भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

**राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 384वीं बैठक का कार्यवृत्त**

स्थान - राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण का सम्मेलन कक्ष

तिथि और समय - 22 मार्च , 2023 अपराह्न 03:00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण।
2. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
3. प्रो. एम. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
4. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण।

| **दिनांक 22.03.2023 को अपराह्न 03.00 बजे आयोजित 384वीं बैठक में विचारार्थ मामलों की सूची** | | |
|---|---|---|
| **ऑनलाइन नए मामले** | | |
| **मामला संख्या 01** | **श्री नीरज गुप्ता और श्री विकास गुप्ता** | **सिफारिश की गई** |
| **मामला संख्या 02** | **मैसर्स एस्टेरॉयड शेल्टर होम्स प्राइवेट लिमिटेड** | **सिफारिश की गई** |
| **मामला संख्या 03** | **एस. सुरिंदर पाल सिंह** | **सिफारिश की गई** |
| **मामला संख्या 04** | **पामिडिबोइना वेंकटेश्वरलू और अन्य** | **वापस भेजा गया** |
| **मामला संख्या 05** | **कोटा भरत कुमार पुत्र वीरा ब्रह्मैया** | **वापस भेजा गया** |
| **मामला संख्या 06** | **कोटा भानुतेजा पुत्र वीरा ब्रह्मैया** | **वापस भेजा गया** |
| **मामला संख्या 07** | **नंबूरी जानकी देवी** | **वापस भेजा गया** |
| **मामला संख्या 08** | **श्री एस मनोज कुमार और श्रीमती एस निर्मला देवी** | **सिफारिश की गई** |
| **मामला संख्या 09** | **श्री जी शक्ति सरवनन और श्रीमती जी मोनिका** | **वापस भेजा गया** |
| **मामला संख्या 10** | **श्रीमती मनिमेकलाई** | **वापस भेजा गया** |
| **मामला संख्या 11** | **श्रीमती एस मनिमेकलाई** | **वापस भेजा गया** |



टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

| | | |
|---|---|---|
| मामला संख्या 12 | श्रीमती एस मनिमेकलाई | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 13 | श्री वी.एस. सुब्रमण्यन | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 14 | श्री वी.एस. सुब्रमण्यन | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 15 | श्री के सरवनन और श्रीमती एस शीला | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 16 | श्री के सरवनन | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 17 | श्रीमती एस मनिमेकलाई | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 18 | श्रीमती वी पद्मावती | अस्वीकृत किया गया |
| मामला संख्या 19 | श्रीमती ए गौरी और श्री आर दिनेश कुमार | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 20 | श्री वाल्टर देवकुमार जी | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 21 | एम/एस श्री गुरु फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 22 | श्री रघुनाथ सत्यमूर्ति (जीपीए), वी. हेमलता (मालिक) | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 23 | श्री आर सुरेश | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 24 | श्रीमती राजी के | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 25 | श्री एन भास्करन | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 26 | श्री पीटी प्रभाकरन (जीपीए), श्री एन. युवराजन (मालिक) | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 27 | श्री सेल्वारांगम एस | अस्वीकृत किया गया |
| मामला संख्या 28 | श्रीमती ई हेमामालिनी | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 29 | श्री पी. राजेश | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 30 | श्री एस शंकरपांडियन | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 31 | श्री ई. सिद्धार्थ | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 32 | श्री एस पलानी | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 33 | श्री एस पेचीमुथु | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 34 | 1. श्री शकील मोहम्मद हनीफ एस , 2. श्रीमती एस.शर्मिला फातिमा , 3. श्री एम. सलीम , 4. श्री सुहैल माधर हनीफ.एस | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 35 | श्री एन कार्तिक | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 36 | श्री पी पलानीवेलराजन | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 37 | श्री सी. ईसामनी | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 38 | श्री शिवकुमार नचिमुथु , श्रीमती सुधा शनमुगवेल (मालिक) और श्रीमती के सरोजा (जीपीए) | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 39 | श्रीमती के कौशल्या | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 40 | श्रीमती एनटी सुधाशिनी | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 41 | श्री सी मुरुगवेल मणि | सिफारिश की गई |



टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

| | | |
|---|---|---|
| मामला संख्या 42 | श्री ई. सिद्धार्थ | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 43 | श्री ई. सिद्धार्थ | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 44 | श्री ई. सिद्धार्थ | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 45 | श्री ई. सिद्धार्थ | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 46 | श्री के.सूर्यनारायणन और श्रीमती एस चेल्लम्मल | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 47 | श्री एम तिरुपति | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 48 | श्री राजू चेल्लादुरई | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 49 | श्रीमती। एस प्रियदर्शनी | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 50 | श्री वी.पुरुषोत्तमन | अस्वीकृत किया गया |
| मामला संख्या 51 | बी सत्यनारायण पुत्र हनुमंथप्पा | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 52 | शिवकुमारबडीगर पुत्र हनुमंथप्पा बदिगर | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 53 | वीरेश बडिगर पुत्र हनुमंथप्पा बडिगर | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 54 | इंदिरा | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 55 | देवाशी वी. पटेल | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 56 | श्रीमती सरला बाई पत्नी अशोक आर गुगलय्या | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 57 | गुरुराज एस | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 58 | मुसर्रतबानू मोहम्मद सोएब शेख | अस्वीकृत किया गया |
| मामला संख्या 59 | अलसिरहान बेंजामिन बेरा और श्री फरहाद बेंजामिन बेरा | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 60 | रामभाई भगतभाई केशवाला और श्री निखिल रामभाई केशवाला | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 61 | खब्बावाला हुज़ेफ़ा गुलाम नबी | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 62 | रमेशचंद्र मोरारजी दतानी व अन्य | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 63 | मिस्टर रोहित | अस्वीकृत किया गया |
| मामला संख्या 4 | श्री रमेश चंद जैन | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 65 | श्री स्वर्ण सिंह | सिफारिश की गई |
| ऑफ़लाइन नए मामले | | |
| मामला संख्या 01 | श्री पद्म प्रसाद बोइरागी के पुत्र श्री पराग ज्योति बोरागी | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 02 | श्रीमती कृष्णकुमारी | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 03 | मिस्टर जॉय पीए और मोली जॉय | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 04 | श्रीमती देवयानी राजन व अन्य | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 05 | श्री विबिन टीजी | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 06 | श्रीमती जया थॉमस | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 07 | श्री के वी रवि | वापस भेजा गया |



टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

| | | |
|---|---|---|
| मामला संख्या 08 | श्री सीबी अशरफ | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 09 | श्री जुबैर वी सिद्धिक | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 10 | श्री शिनोबिन के.टी. | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 11 | श्री विनेश और नर्मदा | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 12 | धनीराम पुत्र स्वर्गीय श्री फकीर सोनवणे | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 13 | श्री के. चंद्रप्पा पुत्र करीबसप्पा | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 14 | श्री रवि.एनबी | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 15 | श्री हर्ष बी.एस | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 16 | श्री कुमार | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 17 | सचिव एवं अध्यक्ष आर्य विषय मंडली , नागमंगला | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 18 | श्री रुद्रैया | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 19 | श्रीमती विद्या | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 20 | श्री नागराजू | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 21 | श्रीमती विजयलक्ष्मी एनएल | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 22 | श्री रवि एच.के | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 23 | निदेशक सह डीन | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 24 | स्वर्गीय लखी के पुत्र श्री राजीव बोरठाकुर बोरठाकुर | वापस भेजा गया |
| मामला संख्या 25 | श्री गीतार्थ चौधरी , पुत्र श्री डीएन चौधरी | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 26 | श्री अमोर ज्योति महंत | अस्वीकृत किया गया |
| मामला संख्या 27 | बीडीआर बिल्डर्स लिमिटेड अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राज कुमार शर्मा के माध्यम से | सिफारिश की गई |
| अनुपालन ऑफ़लाइन मामले | | |
| मामला संख्या 01 | स्टेशन हाउस अधिकारी | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 02 | श्रीमती वलसाला पोथुवलसियर | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 03 | डॉ. राम किशोर अग्रवाल, अध्यक्ष राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसायटी | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 06 | श्री बाबूभाई प्रेमजी , श्री द्वारका के उपाध्यक्ष लोहाना महाजन | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 07 | श्री आनंद जी तोसनीवाल , श्री घनश्याम जी तोसनीवाल और श्री बृजमोहन जी तोसनीवाल | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 08 | श्री आर शंकर | सिफारिश की गई |


टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

मनोहर वर्मा

मनोहर वर्मा

| अनुपालन ऑनलाइन मामले | | |
|---|---|---|
| मामला संख्या 01 | श्रीमती के. शंकरी | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 02 | एस अनीता | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 03 | श्री के थंडापानी | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 04 | श्री वीआर जगन्नाथ और श्रीमती जे शेनबागवल्ली | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 05 | के धरणी | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 06 | श्रीमती वीआर चामुंडेश्वरी | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 07 | श्री नायक जवाहर हाबू | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 08 | श्रीमती हसीनाबेगम पत्नी मोहम्मद गौसाऊ - डागर | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 09 | गोविन्दराज जीवनराज कुलकर्णी | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 10 | श्री रविकुमार एस पल्लेद | सिफारिश की गई |
| मामला संख्या 11 | मुकेश कुमार अग्रवाल | वापस भेजा गया |
| पुन: विचार किए गए मामले | | |
| मामला संख्या 01 | श्री अरुण टी नाइक | अस्वीकृत किया गया |
| मामला संख्या 02 | श्री उमेश श्रीनिवा पई (श्री उत्कर्ष के जीपीए धारक चिक्कानागौदर ) | अस्वीकृत किया गया |
| अतिरिक्त एजेंडा | | |
| मामला संख्या 01 | मैसर्स एसजीएस कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट | सिफारिश की गई |
| विशेष कार्यसूची | | |
| मामला संख्या 01 | श्रीमती आराधना विक्रम सिंह जलाली | वापस भेजा गया |


टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

| दिनांक 22.03.2023 को अपराह्न 03.00 बजे आयोजित 384वीं बैठक में विचारार्थ मामलों की सूची | | |
|---|---|---|
| **ऑनलाइन नए मामले** | सिफारिश की गई | 25 |
| | वापस भेजा गया | 35 |
| | अस्वीकृत किया गया | 05 |
| | **कुल** | **65** |
| **ऑफ़लाइन नए मामले** | सिफारिश की गई | 19 |
| | वापस भेजा गया | 07 |
| | अस्वीकृत किया गया | 01 |
| | **कुल** | **27** |
| **अनुपालन ऑफ़लाइन मामले** | सिफारिश की गई | 06 |
| | अस्वीकृत किया गया | 00 |
| | वापस भेजा गया | 00 |
| | **कुल** | **06** |
| **अनुपालन ऑनलाइन मामले** | सिफारिश की गई | 10 |
| | अस्वीकृत किया गया | 00 |
| | वापस भेजा गया | 01 |
| | **कुल** | **11** |
| **पुनर्विचार किए गए ऑफ़लाइन मामले** | सिफारिश की गई | 00 |
| | अस्वीकृत किया गया | 02 |
| | वापस भेजा गया | 00 |
| | **कुल** | **02** |
| **अतिरिक्त कार्यसूची** | सिफारिश की गई | 01 |
| | अस्वीकृत किया गया | 00 |
| | वापस भेजा गया | 00 |
| | **कुल** | **01** |
| | | |
| **विशेष कार्यसूची** | सिफारिश की गई | 00 |
| | अस्वीकृत किया गया | 00 |
| | वापस भेजा गया | 01 |
| | **कुल** | **01** |
| **कुल** | | **113** |



टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

मनोहर वर्मा

मनोहर वर्मा

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

**राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 384वीं बैठक का कार्यवृत्त**
स्थान - राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण सम्मेलन कक्ष
तिथि और समय - 22 मार्च, 2023 अपराह्न 03:00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
2. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
3. प्रो. एम. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
4. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

**एनओसी आवेदनों पर विचार**

**ऑनलाइन मामले:**

**मामला संख्या 01**

**(श्री नीरज गुप्ता और श्री विकास गुप्ता, बी-7 एक्सटेंशन/73, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में B-7 एक्सटेंशन/73, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली में कुल ऊंचाई 18.00 मीटर (ममटी , मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 87.50 वर्गमीटर तलक्षेत्र, गहराई = 3.27 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 02**

**(मैसर्स एस्टेरॉयड शेल्टर होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 105, पहली मंजिल, वर्धमान सिद्धांत शॉपिंग प्लाजा, एलएससी सविता विहार, दिल्ली)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में नोवल्टी सिनेमा लैंड, मेन रोड, एसपीएम मार्ग, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास 17.85 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ 2 बेसमेंट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ जीएफ = 593.845 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ, एफएफ = एसएफ = 616.116 वर्गमीटर, छत = 211.892 वर्गमीटर, बेसमेंट 1 = 616.704 वर्गमीटर और गहराई = 4.35 मीटर, बेसमेंट 2 = 601.499 वर्गमीटर और गहराई = 3.60 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 03**

**(सरदार सुरिंदर पाल सिंह पुत्र एस. मलकीत सिंह की संपत्ति नकोदर रोड, केनरा बैंक के पास, नूरमहल, तहसील फिल्लौर (जालंधर), पिन कोड-144039)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में तहसील फिल्लौर, नूरमहल, जालंधर, पंजाब में कुल ऊंचाई **11.659 मीटर** (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ एफएफ = 179.107 वर्गमीटर, (मौजूदा), एफएफ = 179.107 वर्गमीटर, एसएफ = 63.913 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के परिवर्धन/परिवर्तन के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 04**

**(श्री पामिडिबोइना वेंकटेश्वरलू और अन्य, डोर नं. 19-1-20ए, नरलासेट्टीवरी पालेम, बापटला, बापतला जिला, आंध्र प्रदेश-522101)**

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **07.50 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 05**

**(श्रीकोटा भरत कुमार पुत्र श्री वीरा ब्रह्मैया, डोर नं. 10-2-110 जीबीसी रोड, बापटला, बापटला (डीटी) ओल्ड गुंटूर (डीटी), आंध्र प्रदेश, पिन-522101)**

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **10.00 मीटर** तक (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और भूमि उपयोग तथा कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा **प्रस्तुत** करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 06**

**(श्री कोटा भानुतेजा पुत्र श्री वीरा ब्रह्मैया, डोर नं. 10-2-108 जीबीसी रोड, बापटला, बापटला (डीटी) ओल्ड गुंटूर (डीटी), आंध्र प्रदेश पिन- 522101)**

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी शपथ-पत्र/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 07**

**(सुश्री नम्बूरी जानकी देवी, डोर नं. 3 विवेकानंद कॉलोनी, बापतला नगर पालिका, बापतला डीटी)**

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **7.50 मीटर** तक (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और भूमि उपयोग तथा कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा **प्रस्तुत** करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।



टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

**मामला संख्या 08**

**(श्री एस. मनोज कुमार और श्रीमती एस. निर्मला देवी, नंबर: 4/701, महालक्ष्मी नगर 3 स्ट्रीट, के. पुदुर, मदुरै नॉर्थ, मदुरै-625007)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट संख्या सी 6, सर्वेक्षण संख्या 8, सेम्बक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु पर **11.09 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ पानी की टंकी सहित जी + 2 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = 33.46 वर्गमीटर तलक्षेत्र, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 09**

**(श्री जी शक्ति सरवनन और श्रीमती जी मोनिका, प्लॉट नंबर 41, तीसरी क्रास स्ट्रीट, श्री पलानियप्पा नगर, गौरिवक्कम, चेन्नई-600073)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 50ए और 50बी/एसयूवी, गौरीवक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु पर **11.77 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ ओवरहेड टैंक सहित जी+2 मंजिलों के साथ जीएफ=एफएफ=70.19 वर्गमीटर तलक्षेत्र, एसएफ (पीटी) = 41.39 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 10**

**(श्रीमती एस मणिमेकलई, नंबर 14, तिरुवल्लुवर नगर, 3 स्ट्रीट, कोट्टूर, चेन्नई-600085।)**आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **16.89 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 11**

**(श्रीमती एस. मणिमेकलई, नंबर 14, तिरुवल्लुवर नगर, 3 स्ट्रीट, कोट्टूर, चेन्नई-600085)**

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **16.89 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 12**

**(श्रीमती एस. मणिमेकलई, नं. 14, तिरुवल्लुवर नगर, 3 स्ट्रीट, कोट्टूर, चेन्नई-600085)**

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **16.89 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 13**

**(श्री वी.एस. सुब्रमण्यम, नं. 14, तिरुवल्लुवर नगर, 3 स्ट्रीट, कोट्टूर, चेन्नई-600085)**



टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महानिदेशक द्वारा

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **16.89 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 14**

**(श्री वी.एस. सुब्रमण्यम, नं. 14, तिरुवल्लुवर नगर 3 स्ट्रीट, कोट्टूर, चेन्नई-600085)**

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **16.89 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 15**

**(श्री के सरवनन और श्रीमती एस शीला, नंबर: 7, कलैवानी स्ट्रीट, कीलकट्टलाई, चेन्नई-600117)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एस. नं. 323/4, टी. एस. नं. 13, किलकेटालई, पलैवपुरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु पर **16.88 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेडरूम, लिफ्ट मशीनरूम और ओवरहेड टैंक के साथ जी + 3 मंजिलों के साथ भूतल क्षेत्र = 92.78 वर्गमीटर, प्रथम तल क्षेत्र = 360.83 वर्गमीटर, दूसरा तल क्षेत्र = 360.83 वर्गमीटर, तीसरा तल क्षेत्र = 270.15 वर्गमीटर, स्टिल्ट तल क्षेत्र = 268.06 वर्गमीटर, हेडरूम तथा लिफ्ट मशीन रूम क्षेत्र = 16.33 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 16**

**(श्री के. सरवनन, नंबर 7, कलाइवानी स्ट्रीट, कीलकट्टलाई, चेन्नई-600117)**

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने और फार्म-2 तथा स्थल योजना में उल्लिखित ऊंचाई में मेल नहीं होने के कारण संशोधित योजना उचित ढ़ंग से पुन प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 17**

**(श्रीमती एस. मणिमेकलई, नं. 14, तिरुवल्लुवर नगर तीसरी गली, कोट्टूर, चेन्नई-600085)**

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **16.89 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और आवेदक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 18**

**(श्रीमती वी पद्मावती, प्लॉट नंबर 3 सरस्वती गार्डन, (दस्तावेज़ क्रमांक: 277/11 के अनुसार, कीलकट्टली चेन्नई-600117)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना जी+1 स्तर तक निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।



टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

**मामला संख्या 19**

**(श्रीमती ए. गौरी और श्री आर. दिनेश कुमार, पी. नंबर 11/20ए, कामराजार स्ट्रीट, पालमपेट्टई, चेटपेट, पोलूर तालुक, तिरुवन्नामलाई जिला)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट No.E2b/S.No.87/12, सेम्बक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु पर **13.56 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेडरूम और ओवरहेड टैंक के साथ जी + 2 मंजिलों के साथ एफएसआई क्षेत्र: जीएफ = एफएफ = एसएफ = 62.82 वर्गमीटर तलक्षेत्र, गैर एफएसआई क्षेत्र: हेड रूम क्षेत्र = 12.36 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.84 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 20**

**(श्री वाल्टर देवकुमार जी, पुत्र जॉर्ज, 5, भारतीदासन स्ट्रीट, नेल्लीकुप्पम, नेल्लीकुप्पम (टीपी), नेल्लीकुप्पमबाजार, कुड्डालोर - 607105)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 142, सेम्बक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **16.96 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेडरूम और लिफ्ट मशीन रूम सहित एफएसआई क्षेत्र: जीएफ = एफएफ = एसएफ = 139.35 वर्गमीटर, गैर एफएसआई क्षेत्र: स्टिल्ट/पार्किंग क्षेत्र = 206.42 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र = 16.54 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर सहित भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 21**

**(मैसर्स श्री गुरु फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड, सी/ओ, के. गणेश, प्लॉट नंबर 1961 ए, जे-ब्लॉक 3 स्ट्रीट 15 वीं मेन रोड, अन्ना नगर (पश्चिम), चेन्नई-600040)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट संख्या 16, क्रमांक 6/21, गौरिवक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू तमिलनाडु में **16.56 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेडरूम, लिफ्ट मशीन रूम और पानी की टंकी सहित एफएसआई क्षेत्र: जीएफ = एफएफ = एसएफ = 212.342 वर्गमीटर, गैर एफएसआई क्षेत्र: स्टिल्ट फ्लोर = 216.092 वर्गमीटर, हेडरूम और लिफ्ट मशीन रूम = 20.272 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर सहित भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 22**

**(श्री रघुनाथ साथिया मूर्ति (जीपीए), वी. हेमलता (मालिक), विमला नगर 1 क्रॉस स्ट्रीट, प्लॉट नंबर 15 वीजीपी, डॉ. विमला नगर, मेदवक्कम, चेन्नई-600100)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 142/45,142/47A1A1B, सेम्बक्कम, तंबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु पर कुल ऊंचाई **15.09 मीटर** (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ पानी की टंकी के साथ स्टिल्ट

+ 3 मंजिलों साथ एफएसआई तलक्षेत्र: जीएफ = एफएफ = एसएफ = 488.84 वर्गमीटर, टीएफ = 357.01 वर्गमीटर तलक्षेत्र, गैर एफएसआई क्षेत्र: स्टिल्ट फ्लोर = 488.84 वर्गमीटर सहित भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 23**

**(श्री आर. सुरेश, नंबर 36, कावेरी स्ट्रीट, गुरुस्वामी नगर एक्सटेंशन, गौरिवक्कम, चेन्नई 600073)**
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में नए सर्वेक्षण संख्या 174/3, सेम्बक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **10.29 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेडरूम और ओवरहेड टैंक के साथ जी + 1 मंजिल सहित एफएसआई क्षेत्र तलक्षेत्र: जीएफ = एफएफ = 116.37 वर्गमीटर, गैर एफएसआई क्षेत्र: हेड रूम क्षेत्र = 9.92 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 24**

**(श्रीमती राजी के, प्लॉट नंबर 245, द्वार नंबर 4/260, पावलमल्ली स्ट्रीट, पूंगा नगर, तिरुवल्लुर, तमिलनाडु -602001)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को वास्तुविद द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित स्थल योजना पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 25**

**(श्री एन. बस्करन, अपार्टमेंट नंबर 9, जीडीनैडू स्ट्रीट, बालाजी एवेन्यू, गोमती नगर, चितलापक्कम, चेन्नई-64)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को वास्तुविद द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित स्थल योजना पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 26**

**(श्री पीटी प्रभाकरन (जीपीए), श्री एन. युवराजन (मालिक), संख्या एच-58/3, पहली मंजिल, गोल्ड स्टार एपार्ट्स, तीसरी मुख्य सड़क, वीटीसी कामराज नगर, तिरुवनमियूर, चेन्नई-600041)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी शपथ-पत्र/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 27**

**(श्री सेल्वारांगम एस, प्लॉट नं. 8, इलांगो स्ट्रीट, सारा नगर, ज़मीन पल्लावर्म, चेन्नई - 600117)**
आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि एएमएएसआर, अधिनियम 1958 की धारा 20ए(4) के अनुसार केंद्रीय संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है।

**मामला संख्या 28**

**(श्रीमती ई. हेमामालिनी, नंबर 51/15, माधा कोविल स्ट्रीट, गांधी नगर, मदुरंतकम, कांचीपुरम, तमिलनाडु-603306)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को वास्तुविद द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित स्थल योजना पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 29**

**(श्री पी. राजेश पुत्र पलानियप्पन, सी33/फ्लैट/004, प्रोविडेंट कॉस्मो सिटी, पुदुपक्कम-603103)**
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 3/एस.एन.75/2, टीएसएन, ज़मीन पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु पर **11.01 मीटर** की कुल ऊंचाई ( ममटी , मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेडरूम और ओवरहेड टैंक के साथ स्टिल्ट + 2 मंजिलों के साथ स्टिल्ट के तलक्षेत्र के साथ = जीएफ = एफएफ = 87.37 वर्गमीटर, हेड रूम एरिया = 6.00 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 30**

**(श्री एस. शंकर पांडियन, प्लॉट नंबर 14, 15वीं स्ट्रीट, साई इल्लम पनयूर अक्करई, 5 स्टार सुपर मार्केट रोड के सामने, शोलिंगनल्लूर, चेन्नई-600119)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को वास्तुविद द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित स्थल योजना पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 31**

**(श्री ई. सिद्धार्थ, नंबर 1, गोकुलमनगर, मूवरसमपट्टू, चेन्नई 91)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **16.89 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और भूमि उपयोग और कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 32**

**(श्री एस पलानी, नंबर 3/16, नीलकारा स्ट्रीट, वन्नियानल्लूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु-603401)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को वास्तुविद द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित स्थल योजना पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 33**

**(श्री एस पेचिमुथु, नंबर: 2/772ए, शिवशक्ति नगर, दूसरी स्ट्रीट, थिरुसुलम, चेन्नई-600043)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी शपथ-पत्र/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।


टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

**मामला संख्या 34**

**(1.श्री शकील मोहम्मद हनीफ एस, 2.श्रीमती एस. शर्मिला फातिमा, 3. श्री श्री एम. सलीम, 4. श्री सुहैल माधर हनीफ.एस, नं:2, ईश्वरा फ्लैट्स, नं.6, भारती नगर तीसरी स्ट्रीट, ज़मीन पल्लावरम, चेन्नई-600043)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट संख्या 89, क्रमांक 20/1 और 2, ज़मीन पल्लवरम, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल ऊंचाई **16.88 मीटर** (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और ओवरहेड टैंक के साथ स्टिल्ट = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 100.79 वर्गमीटर, हेड रूम और लिफ्ट मशीन क्षेत्र = तलक्षेत्र के साथ 19.99 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 35**

**(श्री एन कार्तिक, नंबर 41, बिग स्ट्रीट, कीलकट्टलाई, चेन्नई-600117)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 1B और 1D1 (ईस्ट पीटी), क्रम संख्या 87/1, ज़मीन पल्लवरम, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल ऊंचाई **16.88 मीटर** (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और ओवरहेड टैंक के साथ स्टिल्ट = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 127.75 वर्गमीटर, हेड रूम और लिफ्ट मशीन क्षेत्र के तलक्षेत्र के साथ = 16.34 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 36**

**(श्री पी. पलनिवेलराजन, डोर नं. 16ए, नारायणसामी दूसरी स्ट्रीट, वेस्ट सैदापेट, चेन्नई-600015)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 19बी, क्रमांक 274/10ए1, कीलकट्टलाई, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **12.50 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेड रूम और ओवरहेड टैंक के साथ जी + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 51.54 वर्गमीटर, एफएफ = एसएफ = 64.25 वर्गमीटर, प्रस्तावित पोर्टिको क्षेत्र = 12.72 वर्गमीटर, हेड रूम क्षेत्र = के तलक्षेत्र के साथ 10.52 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 37**

**(श्री सी. एसैमनी, प्लॉट नं. 22, श्री शक्ति नगर, ज़मीन पल्लवरम गांव, चेन्नई-44)**

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को वास्तुविद द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित स्थल योजना पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 38**

**(श्री शिवकुमार नचिमुथु, श्रीमती सुधा शनमुगवेल (मालिक) और श्रीमती के. सरोजा (जीपीए), नंबर: 45Ad, राजगोपाल स्ट्रीट, मुरुगेशपुरम, ओल्ड पल्लवरम, चेन्नई-600117)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 40 क्रमांक 78/15ए, ज़मीन पल्लवरम, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल ऊंचाई **16.88 मीटर** (ममटी, मुंडेर की दीवार, भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और ओवरहेड टैंक के साथ स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = 139.48 वर्गमीटर, हेड रूम और लिफ्ट मशीन क्षेत्र = 13.37 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 39**

**(श्रीमती के. कौसल्या, नंबर 7, कलाइवानी स्ट्रीट, कीलकट्टलाई, चेन्नई-600117)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पी. नंबर 26 और 27, क्रमांक: 274/10ए1, कीलकट्टलाई, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल ऊंचाई **16.88 मीटर** (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और ओवरहेड टैंक के साथ स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 398.81 वर्गमीटर, हेड रूम और लिफ्ट मशीन के तलक्षेत्र के साथ क्षेत्रफल = 21.34 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 40**

**(श्रीमती एन.टी. सुधाशिनी, प्लॉट नंबर 88, यूनियन कार्बाइड कॉलोनी, पहली मेन रोड, ज़मीन पल्लवरम, चेन्नई-600117)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 88, क्रमांक 37/1 और 36/4, ज़मीन पल्लवरम, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **16.76 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार,जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और ओवरहेड टैंक के साथ स्टिल्ट = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 139.35 वर्गमीटर, हेड रूम और लिफ्ट मशीन के तलक्षेत्र के साथ क्षेत्रफल = 12.72 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 41**

**(श्री सी. मुरुगवेल मणि नंबर: 14, मलगनाथ पुरम 2 स्ट्रीट, ज़मीन पल्लवरम, चेन्नई-600043)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 17, क्रमांक 75/4ए2, ज़मीन पल्लवरम, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **14.13 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार,जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम और ओवरहेड टैंक के साथ स्टिल्ट के तलक्षेत्र के साथ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 90.14 वर्गमीटर, हेड रूम एरिया = 10.03 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और

शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 42**

**(श्री ई. सिधरदा, नंबर 1, गोकुलमनगर, मूवरसमपट्टू, चेन्नई 91)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **16.89 मीटर** तक (सभी को मिलाकर) तक सीमित रखने और भूमि उपयोग का कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 43**

**(श्री ई. सिधरदा, नंबर 1, गोकुलमनगर, मूवरसमपट्टू, चेन्नई-91)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **16.89 मीटर** (सभी को मिलाकर) तक सीमित रखने और भूमि उपयोग और कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 44**

**(श्री ई. सिधरदा, नंबर 1, गोकुलमनगर, मूवरसमपट्टू, चेन्नई-91)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **16.89 मीटर** (सभी को मिलाकर) तक सीमित रखने और भूमि उपयोग का कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 45**

**(श्री ई. सिधरदा, नंबर 1, गोकुलमनगर, मूवरसमपट्टू, चेन्नई-91)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **16.89 मीटर** (सभी को मिलाकर) तक सीमित रखने और भूमि उपयोग का कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 46**

**(श्री के. सुरियानारायणन और श्रीमती एस. चेल्लम्मल, डोर नं. 2/401, सिपकोट स्टाफ हाउसिंग कॉलोनी, मुकंदपल्ली, होसुर, कृष्णागिरी, तमिलनाडु-635126)**
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट संख्या 14 और क्रमांक 87/1, ज़मीन पल्लवरम, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **12.50 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेड रूम और ओवरहेड टैंक के साथ जी + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 82.79 वर्गमीटर, एफएफ = एसएफ = 95.48 वर्गमीटर, पोर्टिको क्षेत्र = 12.64 वर्गमीटर, प्रस्तावित हेड रूम क्षेत्र के तलक्षेत्र के साथ = 10.64 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 47**

**(श्री एम तिरुपति, नंबर: 2, दूसरी मंजिल, नागलक्ष्मी सलाई, थिरुचेनूर नगर, पल्लवरम, चेंगलपेट, तमिलनाडु - 600117)**
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 21/14ए, जमीन पल्लवरम, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **12.95 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ 3 मंजिलों के साथ हेडरूम, लिफ्ट मशीन रूम और पानी की टंकी सहित स्टिल्ट के तलक्षेत्र = जीएफ = एफएफ = एसएफ = 55.55 वर्गमीटर, हेड रूम क्षेत्र और लिफ्ट मशीन = 14.58 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 48**

**(श्री राजू चेल्लादुरई नंबर 7/351, तीसरा क्रास स्ट्रीट, शिवशक्ति नगर, थिरिसुलम, चेन्नई -600043)**
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 42/3ए1ए1ए1, जमीन पल्लवरम, पल्लवरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु पर **6.97** मीटर (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ पानी की टंकी के साथ भूतल के साथ जीएफ के तलक्षेत्र के साथ = 86.12 वर्गमीटर, खुली जगह क्षेत्र = 36.97 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 49**

**(श्रीमती एस. प्रियदर्शनी नंबर 34बी, जवार स्ट्रीट, नेताजी नगर, क्रोमपेट, 600044)**
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 3बी/सर्वे नंबर 37/1, सेंबक्कम गांव तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **10.67 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेडरूम और ओवरहेड टैंक के साथ जी+1 मंजिल के साथ एफएसआई क्षेत्र के तलक्षेत्र के साथ : भूतल क्षेत्र = 72.76 वर्गमीटर, प्रथम तल क्षेत्र = 72.76 वर्गमीटर, गैर एफएसआई एरिया : हेड रूम क्षेत्र = 15.05 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.84 मीटर सहित भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 50**

**(श्री वी. पुरुषोत्तमन, पुराना नंबर 19, नया नंबर 5, भवानी नगर 1 स्ट्रीट, पुराना पल्लवरम, चेन्नई -117)**
आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि एएमएएसआर, अधिनियम 1958 की धारा 20ए(4) के अनुसार केंद्रीय संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है।

**मामला संख्या 51**

**(बी सत्यनारायण पुत्र हनुमंथप्पा, 7वां वार्ड, हाउस नंबर: 57, सोसाइटी के पास, अनंतशाया-नागुडी, होसपेटे, विजयनगर जिला, कर्नाटक राज्य 583201-कर्नाटक)**


टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 52**

**(शिवकुमार बडीगर पुत्र हनुमंथप्पा बडिगर, 7वां वार्ड, हाउस नंबर 57, सोसाइटी के पास, अनंतशयनगुडी, होसपेटे, विजयनगर जिला, कर्नाटक राज्य-583201)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 53**

**(वीरेश बदिगर पुत्र हनुमंथप्पा बडिगर, 7वां वार्ड, हाउस नंबर: 57, सोसाइटी के पास, अन्नातशायनगुडी, होसपेटे, विजयनगर जिला, कर्नाटक राज्य- 583201)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 54**

**(इंदिरा, पत्नी रुद्रेगौड़ा, #21 कुवेम्पुनगर चीकनहल्ली रोड गोत्रवल्ली, कर्नाटक)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 55**

**(देवाशी वी. पटेल, #36, टिम्बर मार्केट, उंकल, हुबली - 580031, कर्नाटक)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 56**

**(श्रीमती सरला बाई, पत्नी अशोक आर गुगलय्या, होयसालनगर, अर्सीकेरे, हासन जिला, कर्नाटक)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने और फार्म-2 तथा स्थल योजना में उल्लिखित ऊंचाई में मेल नहीं होने के कारण संशोधित योजना उचित ढ़ंग से पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 57**

**(गुरुराज पुत्र स्वर्गीय श्रीनिवास धन्या, वैकुंठ स्ट्रीट, बेलूर तालुक, हासन जिला, कर्नाटक)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 58**

**(मुर्सरतबानू मोहम्मदसोएब शेख, 1268, पंच पिपली पुलिस चौकी के सामने, जमालपुर, अहमदाबाद)**
आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने यह कहते हुए गलत कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत किया है कि कोई कानूनी विवाद नहीं है जबकि आवेदक के विरूद्ध माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में एक न्यायिक मामला लंबित है।

**मामला संख्या 59**

**(अलसीरहान बेंजामिन बेरा और श्री फरहाद बेंजामिन बेरा, हारून महल, शीतला चौक, पोरबंदर-360575 )**
आवेदन पर विचार करने के बाद फार्म-2 तथा स्थल योजना में उल्लिखित ऊंचाई में मेल नहीं होने के कारण आवेदक को संशोधित योजना उचित ढ़ंग से पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 60**

**(रामभाई भगतभाई केशवाला और श्री निखिल रामभाई केशवाला, "निखिल", रैंडल माताजी मंदिर के पास, चौपाटी ग्राउंड, पोरबंदर-360575 )**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **07.50 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 61**

**(खब्बावाला हुजेफा गुलाम नबी, विभाग-बी, टीका नंबर 12/1, सीएस नंबर 20/1/पी, रावपुरा, वडोदरा)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 07.50 मीटर तक (कुल मिलाकर) सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 62**

**(रमेश चंद्र मोरारजी दतानी और अन्य, महाजन रोड, गोविंद कला स्टूडियो के सामने, द्वारका-361335, जिला देवभूमि द्वारका)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **07.50 मीटर** तक (कुल मिलाकर) सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 63**

**(श्री रोहित नियर बड़ी चौपाल गांव चाजुनगर पलवल, हरियाणा)**
आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक यह कहते हुए गलत कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत की है कि कोई कानूनी विवाद नहीं है जबकि एक न्यायिक मामला लंबित है।

**मामला संख्या 64**

**(श्री रमेश चंद जैन, प्रोपर्टी नं. 142बी, वीर नगर, जैन कालोनी, दिल्ली)**
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्रोपर्टी नंबर 142 बी, वीर नगर, जैन कॉलोनी, राणा प्रताप बाग, जैन कॉलोनी और गुड मंडी, जीटी करनाल रोड, उत्तरी दिल्ली, दिल्ली-110007 पर **18.00** मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर

की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 86.930 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 65**

**(श्री स्वर्ण सिंह, डी-5/7, राणा प्रताप बाग, दिल्ली)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में डी-5/7, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007 पर **17.95 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 144.22 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**ऑफ़लाइन नए मामले;**

**मामला संख्या 01**

**(श्री पराग ज्योति बोइरागी, पुत्र श्री पद्म प्रसाद बोइरागी, कोंवरपुर करिगांव, पीओ कोंवरपुर, जिला शिवसागर, असम, पिन-785667)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में शिवसागर टाउन पार्ट 18 में **07.50 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + एफएफ असम प्रकार के जीएफ = एफएफ = 108.73 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, असम की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 02**

**(श्रीमती कृष्णन कुमारी, संगीत निवास अय्यल पीओ त्रिशूर-680501 केरल)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एसवाई नंबर 856/P2, एय्याल गांव कुन्नमकुलम तालुक त्रिशूर में **04.15 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल के साथ जीएफ = 45.47 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 03**

**(श्री जॉय. पीए और मोली जॉय, पुलिक्कन हाउस, उराकम पीओ त्रिशूर-680561 केरल)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आर.एसवाई नंबर 368/9-3 और 368/9-1, चेरपू गांव त्रिशूर में **11.30 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, मुंडेर की दीवार, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + दो मंजिल के साथ बीएफ = 52.03 वर्गमीटर, जीएफ = 312.03 वर्गमीटर, एफएफ = 363.25 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में

उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 04**

**(श्रीमती देवयानी राजन और अन्य, एझिकोड हाउस, कक्कड़, कुन्नमकुलम पीओ त्रिशूर -680561 केरल)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में आर.एसवाई संख्या 89/2, वार्ड नं. VIII कुन्नमकुलम, त्रिशूर में **7.35 मीटर** (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ भूतल + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 8.22 वर्गमीटर, एफएफ = 48.41 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के विस्तार के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया । .एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 05**

**(श्री विबिन टीजी, थोझक्कड़ हाउस, कक्कड़, कुन्नमकुलम पीओ त्रिशूर-680503 केरल)**

आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में आर. एसवाई संख्या 85/20-1-8-3, द्वार संख्या VII/34 कुन्नमकुलम गांव, कुन्नमकुलम तालुक त्रिशूर **में 7.45 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ ग्राउंड फ्लोर + 1 मंजिल के साथ चारदीवारी सहित जीएफ = 128.98 वर्ग मीटर, एफएफ = 86.76 वर्ग मीटर, परिसर की दीवार = 13.90 एलएम, परिसर की दीवार की ऊंचाई = 1.86 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया । एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 06**

**(श्रीमती जया थॉमस, पुलिक्कोटिल हाउस नट स्ट्रीट पीओ वडकारा, कोझिकोड-673104 केरल)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आर.एस.वाई. 427/1-1, 453/9 वार्ड नं. XIV कट्टमकम्पल, कुन्नमकुलम त्रिशूर में **7.25 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि) के साथ भूतल+1 के साथ जीएफ = 58.94 वर्गमीटर, एफएफ = 41.49 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 07**

**(श्री केवी रवि, कंदिरुथी हाउस थिरुथिकाड रोड, कक्कड़, कुन्नमकुलम पीओ त्रिशूर- 680503 केरल)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, आवेदक को अपने नाम पर संपत्ति के दस्तावेज जमा करने के लिए कहकर आवेदन को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 08**

**(श्री सीबी अशरफ, स्टार जंक्शन, 6/1186 जी, मट्टनचेरी, कोच्चि, एर्नाकुलम -682002 केरल)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आर.एस.वाई . संख्या 72/1-4, वार्ड संख्या 6 (पुराना), 5 (नया) मट्टनचेरी, एर्नाकुलम, कोच्चि में **9.52 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि) के साथ जीएफ+1



टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

के साथ जीएफ = 187.00 वर्गमीटर, एफएफ = 140.30 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 09**

**(श्री जुबैर वी सिथिक, वेल्लाथिंगल हाउस, कदवल्लुर पीओ त्रिशूर - 680543 केरल)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में एसवाई संख्या 752/8, 752/2, 752/1-1, कदवल्लूर कुन्नमकुलम त्रिशूर में **2.95 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ आउटहाउस बिल्डिंग और जीएफ + कंपाउंड वॉल के साथ एक चारदीवारी के निर्माण के लिए जीएफ (आउट हाउस) = 11.39 वर्गमीटर, कंपाउंड दीवार की लंबाई = 170.34 मीटर, कंपाउंड दीवार की ऊंचाई = 1.90 मीटर के तल क्षेत्र के साथ एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 10**

**(श्री शिनोबिन केटी, कंगापरम्बिल हाउस वल्लाचिरा पीओ त्रिशूर -680562 केरल)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आवेदक को भूमि उपयोग के संबंध में कानूनी हलफनामा और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में स्व-घोषणा पत्र पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 11**

**(श्री विनेश और नर्मदा, थरायिल हाउस, आइयाल पीओ त्रिशूर -680502 केरल)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आर.एस.वाई. 1207/3-5, वार्ड नं. XIII कदंगोडे इय्याल कुन्नमकुलम में **7.85 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ +1 के साथ भूतल = 97.50 वर्गमीटर, पहली मंजिल = 47.10 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 12**

**(धनीराम पुत्र स्वर्गीय श्री फकीर सोनवणे, वार्ड नं. 10, मेन रोड तहसील-लांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) - 481222 )**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में खसरा संख्या- 489/1/1 ख. पटवारी हल्का संख्या 19/60 गाँव-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला बालाघाट में **8.31 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जी+1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 74.20 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 13**

**(श्री के. चंद्रप्पा पुत्र करिबासप्पा, अमृतपुरा @ पोस्ट, तरिकेरे तालुक, चिक्कमगलुरु जिला-577228, कर्नाटक)**
आवेदन पर विचार करने के बाद आर्किटेक्ट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कार्य स्थल आयोजना को फिर से जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापिस** भेजने का निर्णय लिया गया।

**मामला संख्या 14**

**(श्री रवि एनबी, पुत्र बसावराजू, टैंक रोड, नागमंगला टाउन, मांड्या जिला-571432, कर्नाटक )**
आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में आकलन संख्या 2383/1-1058/1(पीआईडी संख्या:10-504-64) टैंक रोड, वार्ड संख्या 06, नागमंगला टाउन, नगर परिषद, नागमंगला टाउन, मांड्या जिला में **7.20 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 111.455 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया था। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 15**

**(श्री हर्ष बीएस, पुत्र स्वर्गीय श्रीधर बीएस, मदुरै वतारा (मकान), पूर्णैया स्ट्रीट, श्रीरंगपटना, मांड्या जिला-571438, कर्नाटक)**
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में खाता संख्या एस- 5329/2055/1/1968/1, ए रमन्ना रोड, श्रीरंगपाटन में **9.90 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = 30.30 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 16**

**(श्री कुमार, पुत्र गदलबसप्पा, कन्नड़ सरकारी स्कूल के पास, कुडली पोस्ट, शिमोगा तालुक और जिला-577227, कर्नाटक)**
आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को स्वामित्व दस्तावेज जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेज दिया जाए ।

**मामला संख्या 17**

**(सचिव और अध्यक्ष आर्य विषय मंडली, नागमंगला, कनिका परमेश्वरी देवस्थान और विष्णु कल्याण मंतपा, केपीटी रोड, नागमंगला, मांड्या जिला-571432, कर्नाटक)**
आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को संशोधित आयोजना ठीक से पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहकर मामले को **वापस** भेज दिया जाए क्योकि फार्म II और कार्यस्थल योजना में बेमेलता: है।

**मामला संख्या 18**

**(श्री रुद्रैया पुत्र स्वर्गीय गुरुबसवैयाह, राणाघट्टा गांव, सान्यासिहाली पोस्ट, कसाबा होबली, बेलूर तालुक, हासन जिला-573115, कर्नाटक)**


टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में खसरा सं. 3798/2700, वार्ड संख्या 8, वैकुंटा स्ट्रीट, फोर्ट बेलूर पुरसाभे, बेलूर तालुक, हासन जिला में **7.65 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिलों के साथ जीएफ (वाणिज्यिक) = एफएफ (आवासीय) = 115.45 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 19**

**(श्रीमती विद्या, पत्नी सुधीर आचार्य, लक्ष्मी छाया, बेटकेरी, मारपाडी गांव, मूडबिद्री तालुक, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक)**
आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्रान्त्या गांव, के आर एस सं.44/16 एवं खाता संख्या 11-510-91डी मूड बिदरी होबली, मूड बिदरी तालुक, दक्षिण कन्नड़ में **9.07 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = 182.80 वर्गमीटर, एफएफ = 195.94 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 20**

**(श्री नागराजू, पुत्र अनंत गौड़ा, दुर्गा नगर, वार्ड संख्या 10, किला, बेलूर तालुक, हासन जिला -573115, कर्नाटक)**
आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में के एच नं. 4137/3000, पी आर संख्या .28-505-30B, वार्ड संख्या 10, दुर्गा नगर पुरसाभे, बेलूर तालुक, हासन जिले में **4.33 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के भूतल के साथ जीएफ = 20.53 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 21**

**(श्रीमती विजया लक्ष्मी एनएल, पत्नी स्वर्गीय गंगाधारा, गनिगा रोड, नागमंगला टाउन, मांड्या जिला-571432, कर्नाटक)**
आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में आकलन संख्या 2542/529(4-11-4), वार्ड संख्या 05, नागमंगला टाउन, नगर परिषद, नागमंगला टाउन, मांड्या जिला -571432 में **7.20 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = एफएफ = 24.71 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया था। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 22**

**(श्री रवि एच.के., पुत्र कृष्ण गौड़ा, #281, गोरी के पास, रंगनाथनगर, श्रीरंगपटना, मांड्या जिला-571438, कर्नाटक)**
आवेदन के अवलोकन के बाद इस मामले में खाता संख्या एस- 5154/352/353/1/353/2/110, कमल्या लेआउट, चंदगालु रोड, श्रीरंगपाटन में **9.90 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = एफएफ = 60.25 वर्गमीटर, एसएफ = 41.09 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में

उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 23**

**(निदेशक सह डीन, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, फोर्ट, केआर रोड बैंगलोर -560002, कर्नाटक)**
आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को विरासत प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामला **वापस भेज** दिया जाए क्योंकि प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र 5000 वर्ग मीटर से अधिक है।

**मामला संख्या 24**

**(श्री राजीव बोरठाकुर, स्वर्गीय लखी बोरठाकुर के पुत्र, जॉयसागर करेंग पथ, रंगनाथ डोल के पास, पीओ जॉयसागर, जिला शिवसागर, असम - 785665)**
आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले को आवेदक को यह कहते हुए **वापिस भेजने** का निर्णय लिया गया कि वे एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20(ग)(1) और सीए नियम, 2011 के नियम 8 के साथ पठित नियम 6(VI) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को मरम्मत और नवीकरण ,जो परिवर्धन और परिवर्तन को श्रेणी में नहीं आता,के लिए आवेदन करें।

**मामला संख्या 25**

**(श्री गीतार्थ चौधरी, पुत्र श्री डीएन चौधरी, केपीएम चरियाली, वार्ड संख्या 10, नेत्रज्योति अस्पताल के पास, पीओ और जिला शिवसागर, असम- 785640)**
आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में करेनघर के निकट जोयसागर में **07.50 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + एफएफ (भूतल पहले से ही अनुमति प्राप्त), तल क्षेत्र = 108.73 वर्गमीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया था। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, असम की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 26**

**(श्री अमोर ज्योति महंत, गांव फकुम कमर फाड़िया, पीओ नकटानी जिला शिवसागर, असम- 785667)**
आवेदन के अवलोकन के बाद, मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया गया, क्योंकि AMASR, अधिनियम 1958 की धारा 20क(4) के तहत, केंद्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है।

**मामला संख्या 27**

**(मैसर्स बीडीआर बिल्डर्स लिमिटेड अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राज कुमार शर्मा, डी-82, साकेत, नई दिल्ली के माध्यम से)**
आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में डी-82, साकेत, नई दिल्ली में **18.00 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक सहित) के बेसमेंट+स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के निर्माण के साथ स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 187.49 वर्गमीटर, बेसमेंट का क्षेत्रफल = 187.49 वर्गमीटर, गहराई = 3.20 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के परिवर्धन/परिवर्तन के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया । एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफ़ारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।


टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

**अनुपालन ऑफ़लाइन मामला:**

**मामला संख्या 01**

**(स्टेशन हाउस ऑफिसर, पेरुवनम पुलिस स्टेशन, पेरुवनम, चेरप्पु। पीओ त्रिशूर -680561, केरल)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आर.एस वाई संख्या 261/14, डीएचक्यू कैंप कार्यालय, त्रिशूर ग्रामीण, चेरप्पु, केरल में **13.80 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण सहित) के साथ जीएफ+एफएफ+एसएफ+ टैरेस फ्लोर के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = 567.20 वर्गमीटर, छत तल = 28.08 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ सार्वजनिक परियोजना (पुलिस मुख्यालय) के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 02**

**(श्रीमती वलसाला पोथुवलसियार, रमनकंदथ हाउस, पेरुवनम, चेरप्पु पीओ, त्रिशूर-680561)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आर.एस वाई संख्या 7/11-1, वार्ड संख्या VIII चेरपू त्रिशूर में **7.10 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल +सीढ़ी कक्ष के साथ जीएफ =208.55 वर्गमीटर, सीढ़ी कक्ष =15.58 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 03**

**(डॉ. राम किशोर अग्रवाल, अध्यक्ष राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसायटी, 323, डीग गेट मथुरा, उत्तर प्रदेश)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नं. 511, 516, 519, 528/997, 529, 532, 533, 536, 537 मौजा अकबरपुर तहसील चट्टा, मथुरा जिला में **15.84 मीटर** (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ जीएफ+3 मंजिलों के साथ जीएफ = 5518.70 वर्गमीटर, एफएफ = एसएफ = 5218.24 वर्गमीटर, टीएफ = 5270.04 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ संस्थागत भवन के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, आगरा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 04**

**(श्री बाबूभाई प्रेमजी, श्री द्वारका लोहाना महाजन के उपाध्यक्ष, महिला बाग के सामने, द्वारका- 361335, जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में सी.एस. नं. 2129, शीट नं. 37 और 42, द्वारका, में **14.95 मीटर** (मुंडेर की दीवार, सीढ़ीयो के केविन की दीवार आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ जीएफ+2+छत के साथ जीएफ = 1220.71 वर्गमीटर, एफएफ = एसएफ = 1076.79 वर्गमीटर, छत के फर्श का क्षेत्रफल = 109.72 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 05**

**(श्री आनंद जी तोसनीवाल, श्री घनश्याम जी तोसनीवाल और श्री बृजमोहन जी तोसनीवाल, लड्डीकट्टी हनुमान मंदिर के पास, राम मंदिर रोड, विजयपुर तालुक और जिला- 586101- कर्नाटक)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में एसवाई संख्या 24/ एफ, प्लॉट संख्या 26 + 27, महल बगायत, चालुक्य नगर, विजयपुर तालुक और जिला में **7.45 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ में जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = पार्किंग, एफएफ = 184.88 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 06**

**(श्री आर शंकर, पुत्र स्व. रामाशेट्टी, नेटल गारमेंट्स, श्री राममंदिर के पास, केआरटीसी रोड, गुंडलूपेट, चामराजनगर जिला- 571111, कर्नाटक)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में एएसएसटी संख्या: 127/102/1, पीआईडी नं: 12-8-13, 1st डिवीजन, 3rd वार्ड, टीबी बदवाने, चामराजनगर रोड, गुंडलुपेट में **9.00 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ=एफएफ=63.36 वर्गमीटर, एसएफ=19.36 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**अनुपालन ऑनलाइन मामले**

**मामला संख्या 01**

**(श्रीमती के. सांकरी पुराना संख्या 10, नया संख्या 6, धंदीश्वरम नगर, तिरुवल्लुवर स्ट्रीट, वेलाचेरी, चेन्नई - 600042)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्लॉट संख्या 11, क्रमांक 598/1बी1बी, मदमबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **15.95 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम के साथ प्रस्तावित स्टील्ट = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 91.91 वर्गमीटर, हेड रूम = 15.42 वर्गमीटर, लिफ्ट मशीन रूम = 7.25 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफ़ारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 02**

**(एस अनीता, प्लॉट संख्या 2, पार्वती नगर, मदंबक्कम, चेन्नई-600073)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में S.NO.792/2, मदमबक्कम, तंबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **15.95 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, पानी सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम एरिया = 22.31 वर्गमीटर, लिफ्ट मशीन रूम = 06.32 वर्गमीटर ओवरहेड टैंक सहित प्रस्तावित स्टिल्ट = FF = SF = TF = 165.05 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।



टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

**मामला संख्या 03**

**(श्री के थंडापाणी, संख्या 22, दूसरी स्ट्रीट, जयप्रकाश नारायणन नगर, राजमल कॉलोनी, मदंबक्कम, चेन्नई-126।)**
आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्लॉट नं. 22, क्रमांक 602/2, मदमबक्कम , तांबरम , चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **10.67 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेड रूम और ओवरहेड टैंक सहित जी + 1 मंजिल के साथ प्रस्तावित मौजूदा भूतल क्षेत्र = 50.74 वर्गमीटर, प्रस्तावित भूतल क्षेत्र (सीढ़ी) = 6.97 वर्गमीटर, प्रस्तावित पहली मंजिल क्षेत्र = 63.19 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के अतिरिक्त निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 04**

**(श्री वी.आर.जगन्नाथ और श्रीमती जे. शेनबागवल्ली, संख्या 115, 5वीं स्ट्रीट, कगिथापुरम, एस. कोलाथुर, चेन्नई-600 117।)**
आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्लॉट संख्या 30, क्रमांक 597/9, मदमबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **15.95 मीटर** (मुमटी, पैरापेट, पानी सहित) की कुल ऊचाई के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और ओवरहेड टैंक सहित प्रस्तावित स्टिल्ट= एफएफ = एसएफ = टीएफ = 145.17 वर्गमीटर, हेड रूम क्षेत्र = 16.00 वर्गमीटर लिफ्ट मशीन रूम क्षेत्र = 5.85 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 05**

**(के. धरनी संख्या 7, बजानाई कोइल स्ट्रीट, नूथेनचेरी, मदंबक्कम, चेन्नई- 600126)**
आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में भूखंड संख्या/सर्वेक्षण संख्या 620/4, मदंबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **15.50 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जलभंडारण आदि सहित) के साथ हेड रूम और पानी की टंकी (कुल: 10 विला) सहित जी + 2 मंजिलों के साथ निम्नलिखित तल क्षेत्र के साथ भवन के अतिरिक्त निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| **विला संख्या -1 बी** | | **विला संख्या-6बी** | |
| **भूखंड का विस्तार** | **109.73** | **भूखंड का विस्तार** | **99.13** |
| भूतल क्षेत्र | 77.51 | भूतल क्षेत्र | 74.61 |
| प्रथम तल क्षेत्र | 77.51 | प्रथम तल क्षेत्र | 74.61 |
| द्वितीय तल क्षेत्र | 77.51 | द्वितीय तल क्षेत्र | 74.61 |
| हेडरूम क्षेत्र | 11.30 | हेडरूम क्षेत्र | 12.12 |
| **कुल क्षेत्रफल** | **243.82** | **कुल क्षेत्रफल** | **235.93** |
| **कुल ऊंचाई - 15.50 मी** | | **कुल ऊंचाई - 15.50 मी** | |
| **विला संख्या -2 बी** | | **विला संख्या-7बी** | |
| **भूखंड का विस्तार** | **85.84** | **भूखंड का विस्तार** | **99.03** |


टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

| | | | |
|---|---|---|---|
| भूतल क्षेत्र | 60.95 | भूतल क्षेत्र | 74.55 |
| प्रथम तल क्षेत्र | 60.95 | प्रथम तल क्षेत्र | 74.55 |
| द्वितीय तल क्षेत्र | 60.95 | द्वितीय तल क्षेत्र | 74.55 |
| हेडरूम क्षेत्र | 10.52 | हेडरूम क्षेत्र | 12.12 |
| **कुल क्षेत्रफल** | **193.39** | **कुल क्षेत्रफल** | **235.75** |
| **कुल ऊंचाई - 15.50 मी** | | **कुल ऊंचाई - 15.50 मी** | |
| **विला संख्या -3 बी** | | **विला संख्या-9बी** | |
| **भूखंड का विस्तार** | **99.22** | **भूखंड का विस्तार** | **101.8** |
| भूतल क्षेत्र | 74.67 | भूतल क्षेत्र | 70.00 |
| प्रथम तल क्षेत्र | 74.67 | प्रथम तल क्षेत्र | 70.00 |
| द्वितीय तल क्षेत्र | 74.67 | द्वितीय तल क्षेत्र | 70.00 |
| हेडरूम क्षेत्र | 12.12 | हेडरूम क्षेत्र | 11.52 |
| **कुल क्षेत्रफल** | **236.11** | **कुल क्षेत्रफल** | **221.52** |
| **कुल ऊंचाई - 15.50 मी** | | **कुल ऊंचाई - 15.50 मी** | |
| **विला संख्या-4बी** | | **विला संख्या-10बी** | |
| **भूखंड का विस्तार** | **94.30** | **भूखंड का विस्तार** | **140.3** |
| भूतल क्षेत्र | 64.66 | भूतल क्षेत्र | 71.52 |
| प्रथम तल क्षेत्र | 64.66 | प्रथम तल क्षेत्र | 71.52 |
| द्वितीय तल क्षेत्र | 64.66 | द्वितीय तल क्षेत्र | 71.52 |
| हेडरूम क्षेत्र | 11.52 | हेडरूम क्षेत्र | 11.52 |
| **कुल क्षेत्रफल** | **205.50** | **कुल क्षेत्रफल** | **226.07** |
| **कुल ऊंचाई - 15.50 मी** | | **कुल ऊंचाई - 15.50 मी** | |
| **विला संख्या-5बी** | | **विला संख्या -11 बी** | |
| **भूखंड का विस्तार** | **98.01** | **भूखंड का विस्तार** | **131.1** |
| भूतल क्षेत्र | 67.44 | भूतल क्षेत्र | 73.64 |
| प्रथम तल क्षेत्र | 67.44 | प्रथम तल क्षेत्र | 73.64 |
| द्वितीय तल क्षेत्र | 67.44 | द्वितीय तल क्षेत्र | 73.64 |
| हेडरूम क्षेत्र | 11.52 | हेडरूम क्षेत्र | 12.12 |
| **कुल क्षेत्रफल** | **213.84** | **कुल क्षेत्रफल** | **233.03** |
| **कुल ऊंचाई - 15.50 मी** | | **कुल ऊंचाई - 15.50 मी** | |

एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की **सिफारिश** की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**<u>मामला संख्या 06</u>**

**(श्रीमती वीआर चामुंडेश्वरी संख्या: 4 एस, राजंबल नगर, पहली मेन रोड, मदंबक्कम, चेन्नई- 600)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में क्र.सं.: 786/9, मदमबक्कम , तांबरम , चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **09.56 मीटर** (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक सहित) की कुल ऊंचाई के साथ हेड रूम और पानी की टंकी सहित जी + 1 मंजिल के साथ भूतल का प्लिंथ क्षेत्र = 158.73 वर्गमीटर, दूसरी मंजिल का प्लिंथ क्षेत्र = 158.73 वर्गमीटर, हेड रूम



टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा

क्षेत्र = 19.05 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 07**

**(श्री नायक जवाहर हबू, पुत्र हबू सिंदगी रोड, अल्लापुर टांडा, बीजापुर, कर्नाटक- 586104 )**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्लॉट संख्या 106 एसवाई सं. 153D, विजयपुर, बीजापुर, कर्नाटक में **8.50 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 70.00 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 08**

**(श्रीमती हसीना बेगम पत्नी मोहम्मद गौस सौदागर, 204 सवेरा बिल्डिंग एसजी बरवे मार्ग कुर्ला, पूर्व बिलाली मस्जिद के पास, मुंबई, नेहरू नगर मुंबई उपनगरीय, महाराष्ट्र -400024, कर्नाटक)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में वार्ड संख्या IV सीटी, एस,सं.-826, विजयपुर, बीजापुर, कर्नाटक में **09.95 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ GF=FF=SF=12.60 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 09**

**(गोविंदराज जीवनराज कुलकर्णी, रायार मठ विजयपुर, कर्नाटक के पास दिवातागेरिगल्ली)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्लॉट संख्या 84 एसवाई सं.1293, अल्लापुर ओनी, अंकलिकर लेआउट, बीजापुर, कर्नाटक में **8.83 मीटर** की कुल ऊंचाई (मंटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 70.00 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया था। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 10**

**(श्री रवि कुमार एस. पल्लेद, सिंदगी नाका, जागृति कॉलोनी, रंभापुर विजयपुर, कर्नाटक)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट संख्या:- 97, सीटीएस संख्या: - 1292, विजयपुर, बीजापुर, कर्नाटक में **08.92 मीटर** की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ विद्यमान जीएफ = 76.87 वर्गमीटर, प्रस्तावित एफएफ = 76.87 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 11**

**(मुकेश कुमार अग्रवाल, सी-1/4, सेक्टर 11 फरीदाबाद , हरियाणा)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इसे वापिस करने क निर्णय लिया गया क्योंकि प्रस्ताव और भवन आयोजना में स्पष्टता नहीं थी।

**अतिरिक्त कार्यसूची :**

**ऑनलाइन मामला**

**दिल्ली मामला संख्या 01**

**(मैसर्स एसजीएस कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आर-10, ग्रीन पार्क मेन लोकल शॉपिंग सेंटर, नई दिल्ली)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में भूखंड संख्या 10, ब्लॉक -आर, ग्रीन पार्क मुख्य स्थानीय, शॉपिंग सेंटर में **17.98 मीटर** (पैरापेट, मुम्टी और जल भंडारण टैंक, आदि) की कुल ऊंचाई के साथ तलघर+स्टिल्ट + भूतल + तीन मंजिल के साथ तलघर = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 125.376 वर्गमीटर और गहराई = 2.90 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की **सिफारिश** की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**ऑफ़लाइन मामलों पर पुनर्विचार;**

**मामला संख्या 01**

**(श्री अरुण टी नाइक, फोर्ट रोड, पोस्ट मिर्जन, कुम्ता, उत्तर कन्नड़ जिला-581440, कर्नाटक)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले को खारिज करने का निर्णय लिया गया क्योंकि प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना जी+1 स्तर तक निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

**मामला संख्या 02**

**(श्री उमेश श्रीनिवा पई (श्री उत्कर्ष चिकनगौदर के जीपीए धारक), "श्रेया", अमर ज्योति क्लिनिक के सामने, सदानंद कामथ रोड, क्रॉस रोड. संख्या 3, करकला, उडुपी जिला -574104 -कर्नाटक)**

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले को खारिज करने का निर्णय लिया गया क्योंकि प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना भूतल स्तर तक निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

**विशेष कार्यसूची मामला**

**(श्रीमती अराधना विक्रम सिंह जलाली ई-8, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017**

इस मामले पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय द्वारा अपने दिनांक 28.02.2023, जिसमें राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण को याचिका कर्ता के दिनांक 11.03.2014 के आवेदन पर तीन सप्ताह की अवधी के भीतर विचार करने का निर्देश दिया गया था, पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया। इसके अनुपालन में प्राधिकरण ने आवेदक के अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधि आवेदन की सिफारिश की लेकिन यह पाया कि एएमएएसआर (सीए) नियम, 2011 के फार्म-I में उल्लिखित आवश्यकता के अनुसार भवन आयोजना को प्राधिकरण द्वारा अनुप्रामाणित किये जाने कि आवश्यकता है और यह अनुप्रमाणन राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली में उपलब्ध नही थी। इसीलिए प्राधिकरण ने आवेदक को यह कहते हुए उसका मामला वापस भेज दिया कि वह माननीय उच्च न्यायलय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी के लिए फार्म-I के साथ-साथ अपने दिनांक 11.03.2014 के प्रस्तुत किये गये आवेदन के साथ भवन आयोजना जमा कराये।

---



टाइप किया गया: बंटी द्वारा समेकित किया गया: रिया द्वारा जांच की गई: महापात्रा द्वारा